आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 08/09** **कांशी राम बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1907 दिनांक 17.9.09 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 26.4.09 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मशरक के द्वारा कांशी राम, जन वितरण प्रणाली विकेता, पंचायत–खजूरी, मशरक की दुकान की जॉच की गयी, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी। 1. आपके द्वारा नियमित रूप से किरासन तेल एवं खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है। 2. आपका व्यवहार उपभोक्ताओं के बीच संतोषप्रद नहीं है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 796 दिनांक 6.5.09 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विकेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा किरासन तेल एवं खाद्यान्न का उठाव नियमित रूप से प्रत्येक माह किया जाता हैं। अपने उपभोक्ताओं के साथ इनका व्यवहार बिल्कुल सही रहता है। इनके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियंत्रण आदेश 2007 के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के	

विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विकेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता के विरूद्व कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं का नाम भी उनके कारणपृच्छा में या उनके द्वारा निर्गत आदेश में अंकित नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्व लगाए गए आरोप सिद्व नहीं हो पाए हैं। अतः अपीलार्थी के द्वारा दिए गए अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1051 दिनांक 15/12/14

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/12/14

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।